2026:CGHC:8932

2026:CGHC:8932

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक–1148/2025

- विजय कुमार पटेल पिता तीरथराम पटेल, उम्र–लगभग 31 वर्ष, निवासी–ग्राम बोतल्दा, पुलिस थाना एवं तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़

–––––अपीलार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना–भूपदेवपुर, रायगढ़, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़ (राज्य)
2. XYZ (शिकायतकर्ता)

–––––प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा	:	श्री संजय अग्रवाल, अधिवक्ता सहित श्री कृष्णा टण्डन, अधिवक्ता ।
राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक–1 द्वारा	:	श्री अमन ताम्रकार, पैनल अधिवक्ता ।
शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक–1 द्वारा	:	कोई उपस्थित नहीं ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! आदेश पीठ पर पारित !!

19/02/2026

1. धारा 14(क)(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे संक्षेप में "विशेष अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत प्रस्तुत इस अपील में, विचारण न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (विशेष अधिनियम), रायगढ़, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण (विशेष अधिनियम) क्रमांक 08/2025, "छत्तीसगढ़ राज्य **विरुद्ध** विजय कुमार पटेल" में पारित आदेश दिनांक 12/05/2025 को चुनौती दी गई है । उक्त आदेश को संक्षेप में "प्रश्नाधीन आदेश" से संबोधित किया जा रहा है ।

2. "प्रश्नाधीन आदेश" के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त विजय कुमार पटेल के विरुद्ध धारा 294, 506(भाग–दो), 376(2)(ढ़) भारतीय दण्ड संहिता एवं विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v) के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि अभियोक्त्री के पति का निधन वर्ष 2010 में हो गया था । अपीलार्थी/अभियुक्त विजय कुमार पटेल पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत है । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को विवाह करने का आश्वासन दिया तथा उसके बच्चे के पालन–पोषण एवं देखरेख का विश्वास दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए । अभियोक्त्री द्वारा गर्भवती होने की जानकारी देने पर अपीलार्थी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए । गर्भपात कराने से अभियोक्त्री द्वारा इंकार किए जाने के बावजूद उसे दवा खिलाई गई, उसके साथ मारपीट की गई, गाली–गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई । जब अभियोक्त्री ने अपीलार्थी से विवाह के संबंध में प्रश्न किया, तो अपीलार्थी ने विवाह से इनकार कर दिया । अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी द्वारा

दूरभाष पर अश्लील एवं जातिगत गालियां दी गईं तथा उसे जहर सेवन कर मर जाने के लिए उकसाया और साथ रखने से इंकार कर दिया । अपीलार्थी ने कहा कि वह पुलिस में है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभियोक्त्री को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया । मानसिक तनाव के कारण अभियोक्त्री द्वारा जहर का सेवन किया गया । उसके परिजनों द्वारा दिनांक 02.08.2024 को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह दिनांक 04.08.2024 तक उपचार करायी । तत्पश्चात, दिनांक 27.09.2024 को अभियोक्त्री द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत किए जाने पर पुलिस थाना भूपदेवपुर में अपराध क्रमांक 95/2024 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया ।

4. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ है । अभियोक्त्री आदतन अवैध रूप से मदिरा विक्रय करती है, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रकरण पंजीबद्ध हैं, तथा उन प्रकरणों में अपीलार्थी छापेमारी हेतु जाता रहा है । इसी रंजिशवश अभियोक्त्री द्वारा उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि लिखित शिकायत एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज अभियोक्त्री के बयान में स्पष्ट विरोधाभास है । कथित घटना में विशेष अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का उल्लेख नहीं है । ऐसी दशा में उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है । विचारण न्यायालय द्वारा जो आरोप की रचना की गई है वह विधि के प्रकाश में उचित नहीं है तथा "प्रश्नाधीन आदेश" स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अपील स्वीकार करते हुए "प्रश्नाधीन आदेश" अपास्त किया जाये ।

5. राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक–1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि लिखित शिकायत में ही जातिगत गाली–गलौज का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । आरोप निर्धारण के स्तर पर बचाव के तथ्यों का परीक्षण किया जाना उचित नहीं है । अभियोगपत्र के परिशीलन से प्रथमदृष्टया अपराध परिलक्षित होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" पूर्णतः उचित एवं वैध है । ऐसी दशा में अपीलार्थी पक्ष का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । अतः अपील खारिज की जाए ।

6. उपस्थित पक्ष का तर्क श्रवण किया गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

7. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आरोप निर्धारण के चरण पर अभियुक्त अपना प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं कर सकता । इस स्तर पर न्यायालय साक्ष्य का विस्तृत परीक्षण या लघु–विचारण नहीं करता, बल्कि केवल यह देखता है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का प्रथमदृष्टया गठन होता है या नहीं । यदि प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हो, तो विचारण हेतु आरोप निर्धारित किया जाना उचित होता है ।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **State of Rajasthan v. Fatehkaran Mehdu, AIR 2017 SC 796** में यह विधि स्थापित की गई है कि आरोप निर्धारण के चरण पर न्यायालय आरोपों के सत्यापन अथवा अंतिम प्रमाणिकता का परीक्षण नहीं करता, अपितु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह विचार करता है कि क्या अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का प्रबल संदेह उत्पन्न होता है । यदि उपलब्ध सामग्री से ऐसा सशक्त संदेह परिलक्षित होता है, जो विचारणोपरांत दोषसिद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकता है, तो आरोप निर्धारण विधिसम्मत होगा । आरोप निर्धारण की अवस्था दोषसिद्धि के अंतिम परीक्षण की अवस्था नहीं है ।

9. इसी प्रकार, **State of M.P. v. Deepak, (2019) 13 SCC 62** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हस्तक्षेप की परिधि स्पष्ट करते हुए प्रतिपादित किया है कि आरोप निर्धारण के स्तर पर न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होता है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध अपराध किए जाने का अनुमान करने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है । इस चरण पर न्यायालय साक्ष्यों का गुण–दोष के आधार पर मूल्यांकन नहीं करता और न ही यह निष्कर्ष निकालता है कि अभिलेखित साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त होंगे या नहीं । जिसकी कण्डिका–16 निम्नानुसार हैः–

> **"16.** It was also noted that at the stage of framing of charges, the Court has to consider the material only with a view to find out if there is a ground for "presuming" that the accused had committed the offence : (Chitresh Kumar Chopra case [Chitresh Kumar Chopra v. State (NCT of Delhi), (2009) 16 SCC 605 : (2010) 3 SCC (Cri) 367] , SCC p. 613, para 25)
>
> " 25. It is trite that at the stage of framing of charge, the court is required to evaluate the material and documents on record with a view to finding out if the facts emerging therefrom, taken at their face value, disclose the existence of all the ingredients constituting the alleged offence or offences. For this limited purpose, the court may sift the evidence as it cannot be expected even at the initial stage to accept as gospel truth all that the prosecution states. At this stage, the court has to consider the material only with a view to find out if there is ground for "presuming" that the accused has committed an offence and not for the purpose of arriving at the conclusion that it is not likely to lead to a conviction."

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **State (NCT of Delhi) v. Shiv Charan Bansal and Others, (2020) 2 SCC 290** में यह पुनः स्पष्ट किया गया है कि आरोप निर्धारण

के चरण पर विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सूक्ष्म एवं विस्तृत विश्लेषण या व्यापक परीक्षण किया जाना अपेक्षित नहीं है । तथापि, न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उपलब्ध सामग्री का सीमित परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि अभियुक्त के विरुद्ध विचारण प्रारंभ करने हेतु प्रथमदृष्टया मामला स्थापित होता है या नहीं ।

11. उपरोक्त विधिक प्रावधान तथा न्यायदृष्टांत के प्रकाश में यह न्यायालय पाती है कि अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क मूलतः बचाव से संबंधित हैं, जिनका परीक्षण आरोप निर्धारण के स्तर पर किया जाना उचित नहीं है । अभियोगपत्र से जो प्रथमदृष्टया तथ्य परिलक्षित हो रहे हैं उनके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" में कोई अवैधता अथवा अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती है । अतः उसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं पाई जाती । अतः अपील **खारिज** की जाती है ।

12. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन